

राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा
प्रकाश क्रमांक रिच्यू- 876-तीन/14

रिच्यू-876-III/14

1. देवमती बेवा सुरेन्द्र कुमार त्रिपाठी
2. रमाकान्त त्रिपाठी पिता हरबक्स राम त्रिपाठी,
सभी निवासी ग्राम-गहनौवा, तहसील-सिरमौर, जिला-रीवा (म0प्र0)

-----पुनर्विलोकनकर्ता/आवेदकगण

श्री. महेश प्रसाद यादव
आज दिनांक 25.2.14
दिवा मका:

सर्किट कोर्ट रीवा

बनाम्

1. नागेश्वर प्रसाद पिता गजाधर, निवासी ग्राम-गहनौवा,
तहसील-सिरमौर, जिला-रीवा (म0प्र0)
2. शासन मध्यप्रदेश, द्वारा- राजस्व निरीक्षक सिरमौर.

-----उत्तरदाता/अनावेदकगण

क्रमांक 749
रजिस्टर्ड स्ट द्वारा आज
दिनांक को प्राप्त

राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक
09.03.2012 न्यायालय अपर जिलाध्यक्ष
रीवा.

आवेदन-पत्र बावत् पुनर्स्थापित किए जाने
हेतु अंतर्गत धारा-35(3) भू-राजस्व संहिता.

आवेदन-पत्र बावत् पुनर्विलोकन (रिव्यू)
आदेश दिनांक 25.01.2014 प्रकरण क्र.
336/II/13 के पुनर्स्थापित होने के संबंध
में अंतर्गत धारा 51 भू-राजस्व संहिता.

मान्यवर,

पुनर्विलोकन आवेदन-पत्र के आधार निम्नलिखित हैं :-

देवनागरी / नागरी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

पुनरावलोकन प्रकरण क्रमांक : 876/III/2014

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

जिला सीवा
पक्षकारों एवं
अभिभाषकों
के हस्ताक्षर

9.4.2014

म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत यह पुनरावलोकन आवेदन न्यायालयीन पुनरावलोकन प्रकरण क्रमांक 336/II/2013 में पारित आदेश दिनांक 25-01-2014 को पुनरावलोकन में लेकर सुनवाई करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा आदेश दि. 25-1-14 का अवलोकन किया गया।

3/ प्रकरण में विचार योग्य विन्दु है कि किसी आदेश का एकवार पुनरावलोकन किया जा चुका है तब क्या उसी आदेश का फिर से पुनरावलोकन किया जा सकता है ?

भू राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) - धारा 51 - पुनर्विलोकन केवल एक बार - यह सुस्थापित विधि है कि पुनर्विलोकन में पारित आदेश के विरुद्ध पुनः पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता।

अतएव पुनर्विलोकन आवेदन अग्राह्य होने से अमान्य किया जाता है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।


(अशोक शिवहरे)

सदस्य

राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर